

**कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)
आदेश**

क 428 / दो-11-1 / 2018

जबलपुर, दिनांक- 20.05.2020

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापना उनके नाम के सम्मिश्र अंकित कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश पर्यन्त तक किया जाता है:-

कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	विस्तार के स्थान पर
1 सुनिवा झारिया	साक्ष्य लेखक (प्रो व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2 के सफ़्तम अति0 व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	साक्ष्य लेखक (वारहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	पीठाधीनता के स्थान पर अवकाश से वापस आने तक अटैचमेंट के माध्यम से पीठाधीन अधिकारी श्रीमती अरुण यादव के अवकाश पर रहने तक कार्यालय में अटैच
2 शमा अंजुन	साक्ष्य लेखक (सोलहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	(प्रथम अपर न्यायाधीश)	पीठाधीन अधिकारी श्रीमती सुलगी दुग्गल के अवकाश पर रहने तक अटैच
3 उपेन्द्र बाघमारे	अति0 (सोलहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	लिपिक (अभिलेखागार)	पीठाधीन अधिकारी श्रीमती सुलगी दुग्गल के अवकाश पर रहने तक अटैच
4 धीरज कश्यप	साक्ष्य लेखक (सत्रहवें सिविल रीडर व्य0 न्यायाधीश वर्ग-1)	(पन्द्रहवें अपर जिला न्यायाधीश)	पीठाधीन अधिकारी श्रीमती शक्ति वर्मा के अवकाश पर रहने तक अटैच (श्रीमती माधुरी अहिर के स्थान पर)
अतशिश बरमईया	अति0 (सत्रहवें लिखवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-1)	अपर जिला न्यायाधीश	पीठाधीन अधिकारी श्रीमती शक्ति वर्मा के अवकाश पर रहने तक अटैच
जितेन्द्र चौकसे	(अटैच) अनुभाग मालखाना	सिविल रीडर (वारहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	रिक्त
बलराम पटेल	(अटैच) अनुभाग मालखाना	दाखिल (वारहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	रिक्त
मनोज भारद्वाज	स्टेनोग्राफर (सत्रहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-1)	स्टेनोग्राफर (वारहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	पीठाधीन अधिकारी श्रीमती शक्ति वर्मा के अवकाश पर रहने तक अटैच
श्रीमती शिखा जैन	(अटैच) अभिलेखागार	दाखिल प्रस्तुतकार (पन्द्रहवें व्य0 न्यायाधीश वर्ग-2)	रिक्त

10. प्रशांत वनसोडे	कुमार (अटैच) अभिलेखागार	सिविल रीडर (पन्द्रहवें व्यावर्ग-2)	रिक्त
11. सतीश मरकाम	स्टेनो (सोलहवें व्यावर्ग-2)	स्टेनो (पन्द्रहवें व्यावर्ग-2)	पीठासीन अधिकारी सुहांगी दुग्गल के अवकाश पर रहने तक अटैच

नोट:-

01. प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के साक्ष्य लेखक के आधिपत्य के अभिलेख उस न्यायालय में पदस्थ सिविल / दंडिक प्रस्तुतकार को प्रदान किये जाएंगे।
02. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
03. पीठासीन अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि स्थानांतरित कर्मचारियों को वे तत्काल भारमुक्त करें ताकि वे नवीन पदस्थापना पर अपना कर्तव्य ग्रहण कर सकें।
04. स्थानांतरित कर्मचारियों को अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी प्रकार का लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।



(संजय शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)